

**चयन सूची के दावा आपत्ति का निराकरण**  
**नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर (छ0ग0)**

पदनाम :- अनुरेखक (ट्रेसर), पद संख्या :- 05 (अनारक्षित - 02 पद, अनु. जनजाति - 02 पद एवं अ0पि0वर्ग - 01 पद)

स. क्र.	आ. क्र.	आवेदक का नाम एवं पिता/पति का नाम	दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का कारण	दावा आपत्ति का स्पष्टीकरण	निराकरण मान्य/अमान्य
1	58	श्री विजेन्द्र कुमार चौहान पिता श्री सोमाजी चौहान	अंतिम चयन में अशिम प्रताप हिरवानी पिता श्री राम हिरवानी का चयन सामान्य वर्ग में किया गया जो पिछड़े वर्ग ओबीसी से संबंधित है। अशिम प्रताप हिरवानी की आयु 01.01.2017 को 35 वर्ष 02 माह 26 दिन है। जो सामान्य वर्ग के लिए अहर नहीं होने का दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है।	2/ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 23.01.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों पर की जाने वाली भर्ती में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3-2/2015/ 3/एक, दिनांक 17.12.2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई थी, साथ ही अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई थी। 3/ राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त परिपत्र दिनांक 17.12.2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को कैलेण्डर वर्ष 2018 तक बढ़ाया गया है। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में दी गई 5 वर्ष की छूट के साथ अनारक्षित वर्ग हेतु 40 वर्ष होगी। जिसके तहत मेरिट सूची अनुसार चयन सूची तैयार की गई है।	आपत्ति अमान्य

मुख्य अभियंता (अभियांत्रिकी),  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी,  
नया रायपुर (छ0ग0)।

महाप्रबंधक (वित्त/लेखा),  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी,  
नया रायपुर (छ0ग0)।

महाप्रबंधक (प्रशासन),  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी,  
नया रायपुर (छ0ग0)।